फासीवाद और हर तरह के शोषण–दमन के

विरुद्ध

अंक 4 : जनवरी, 2019 | केवल निजी वितरण हेतु | सहयोग राशि – 5 रूपये

सम्पादक

कृपा शंकर

विश्वविजय

परामर्श मण्डल

सुधीर विद्यार्थी

गौहर रज़ा

शम्सुल इस्लाम

अनिल चमड़िया

श्रवण

सम्पर्क सूत्र

विश्वम्भर

मुसैला चौराहा, पोस्ट– बड़हरा

जनपद– देवरिया, पिन– 274501

मो0– 8173866378

antifascistfront2018@gmail.com

blog: antifascistfront2018.blogspot.com

फासीवाद विरोधी मोर्चा (उ0 प्र0) के भागीदार संगठन

1. जन मुक्ति मोर्चा (आजमगढ़),
2. मजदूर किसान एकता मंच (उ0प्र0),
3. रिहाई मंच (उ0प्र0),
4. भगत सिंह छात्र मोर्चा (B.C.M.)(उ0प्र0)
5. इंकलाबी छात्र मोर्चा (I.C.M.)(उ0प्र0),
6. भगत सिंह विचार मंच (चन्दौली),
7. दस्तक प्रत्रिका (इलाहाबाद),
8. D.S.A.(U.P.)
9. बुनकर बिरादराना तंज़ीम(52वीं,14वीं) (वाराणसी),
10. भगत सिंह अम्बेडकर विचार मंच (वाराणसी)
11. आजमगढ़ जन शिक्षा अधिकार मंच,
12. स्ववित्तपोषित महाविद्यालय शिक्षक संघ (उ0प्र0)
13. अम्बेडकरवादी बहुजन समाज संगठन (गोरखपुर),
14. राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा (उ0प्र0),
15. डा0 अम्बेडकर संघर्ष समिति (उ0प्र0),
16. पूर्वांचल छात्र संगठन (आजमगढ़),
17. जाति उन्मूलन मोर्चा (उ0प्र0)
18. ग्राम विकास मंच (बलिया),
19. जन संघर्ष समन्वय समिति (बलिया),
20. इण्डियन पीपूल्स सर्विसेज (बलिया),
21. जन कला मंच,
22. दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा आदिवासी न्याय मंच (बलिया),
23. महिला विकास मंच (बलिया),
24. शहीद भगत सिंह डा0 अम्बेडकर मंच (गोरखपुर),
25. लोक जनवादी अधिकार मंच (गोरखपुर)
26. भीम आर्मी (उ0प्र0)
27. यंग इण्डिया स्टडी सर्किल
28. नव युवक अम्बेडकर दल, आजमगढ़
29. बाल कमेटी, आजमगढ़
30. जय भीम, आजमगढ़
31. डा0 अम्बेडकर ग्राम सुधार समिति, आजमगढ़

सम्पादकीय

चुनाव से फासीवादी सत्ता को नहीं हराया जा सकता

– विश्वविजय

11 दिसम्बर को पाँच राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव का परिणाम आ गया। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। मिजोरम और तेलंगाना में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी। सवाल यह है कि इस बदलाव से जनता पर किये जा रहे मनुवादी–फासीवादी हमले बंद हो जायेंगे?

आज बहुत सारे प्रगतिशील लोग, संगठन और कुछ संसदीय वामपंथी पार्टियाँ इस चुनावी बदलाव को सकारात्मक रूप से देख रही हैं। वे 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी तरह के बदलाव के लिए प्रचार कर रही हैं और भाजपा के खिलाफ अन्य पार्टियों को वोट देने या उनसे गठबंधन कर चुनाव लड़ने की कवायद कर रही हैं। तब सवाल यह उठता है कि क्या फासीवाद को चुनावी हथियार से हराया जा सकता है? क्या दूसरे दलों की सरकारों के सत्ता में आने से अखलाक़, जुनैद जैसे लोग गाय के नाम पर फिर नहीं मारे जाएंगे? क्या पानसारे, दाभोलकर, गौरी लंकेश और कलबुर्गी जैसे प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की हत्याओं पर सनातनी हत्यारे गिरोहों द्वारा हमला रूक जायेगा? क्या जल–जंगल–जमीन की लूट के विरुद्ध लड़ रहे आदिवासियों, क्रांतिकारियों का पुलिस और फौज द्वारा कत्लेआम रूक जाएगा? क्या दलितों के ऊपर ब्राह्मणवादी–फासीवादी हमले कम हो जाएंगे? क्या कठुआ में आसिफा और आगरा की संजलि जैसी बेटियाँ अब बलात्कार, हत्या या जिंदा जला देने जैसी बर्बर घटनाओं से मुक्ति पा सकेंगी? सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी हो सकती है।

हम यहाँ सरकार के बदलने से होने वाली तब्दीली पर विचार कर रहे हैं। इस बदलाव के मतलब को एक घटना से समझा जा सकता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोमांस के शक में साम्प्रदायिक दंगे की पृष्ठभूमि बना दी गयी। पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह ने जब साम्प्रदायिक हिंसा की साजिश को रोका तब हिंदुत्ववादी हत्यारों की भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद गरमाई राजनीति के बाद योगी सरकार ने उस पर जाँच बैठा दी। जांच कमेटी ने पुलिस अधिकारी की हत्या कैसे हुई और हत्यारे कौन हैं? की बजाय अपनी जाँच का केंद्र बिंदु गौहत्या कैसे हुई और किसने की? को बनाकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस जांच रिपोर्ट ने देश के अमनपसंद लोगों को आहत किया। मशहूर फ़िल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने इस घटना पर टिप्पड़ी करते हुए लिखा कि "ये जहर फैल चुका है और दोबारा इस जिन्न को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, एक पुलिस ऑफिसर की मौत के बनिस्बत। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर। क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी, रत्ना (रत्ना पाठक शाह–अभिनेत्री और नसीर की पत्नी) को बिल्कुल नहीं मिली थी, वो एक लिबरल परिवार से आती हैं। हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना–देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में जरूर उनको सिखाया।हमारे जो बिलीफ हैं, दुनिया के बारे में वो हमने उन्हें सिखाए। कुरान–शरीफ की एक–आध आयत याद ज़रूर करवाई क्योंकि मेरा मानना है उससे तलफ्फुज़ सुधरता है। उसके रियाज़ से. जिस तरह हिंदी का तलफ्फुज़ सुधरता है रामायण या महाभारत पढ़के. खुशकिस्मती से मैंने बचपन में अरबी पढ़ी थी इसलिए कुछ आयतें अब भी याद हैं। उसकी वजह से मेरे खयाल से मेरा तलफ्फुज़ है। तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में कि कल को उनको अगर भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है कि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता गुस्सा आता है। और मैं चाहता हूं कि राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए डर नहीं लगना चाहिए हमें। हमारा घर है हमें कौन निकाल सकता है यहां से।"

नसरुद्दीन शाह के इस बयान से देश के सनातनी फांसीवादी गिरोहों की भृकुटियाँ तन गईं और उन्हें "अजमेर साहित्यिक समारोह" में बोलने और शामिल होने से रोक दिया गया। वहां की पुलिस हँसमुख होकर देखती रही। यह घटना चुनाव द्वारा सरकार बदल जाने के बाद हुई यानी कांग्रेसी सरकार के राज में। ऐसी हजारों घटनाओं को विभिन्न रंग रूप की देश–प्रदेश की सरकारों में देखा जा सकता है। दरसल फासीवाद हमारे देश मे एक संगठित संरचना अख्तियार कर चुका है। फांसीवादी संरचना चुनावी संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों में मजबूती से संगठित हो चुकी हैं। यह दौर दुनिया भर में फासीवाद का दौर है। जब–जब दुनिया का अमीर वर्ग आर्थिक संकट में फंसता है फासीवाद का रूप अख्तियार कर लेता है। अलग–अलग देशों में उसके रूप–रंग अलग–अलग दिख सकते हैं।लेकिन भेंड़ की खोल में भेड़िये की पहचान आज की जरूरत है।

दुनिया में जहाँ–जहाँ फासीवाद आया,वहाँ–वहाँ की जनता ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हांसिल की। हमारे देश में भी फासीवाद के विरुद्ध जंग जारी है। आदिवासियों द्वारा छेड़ी गयी लड़ाई में, आसिफा और संजलि के बलात्कार, हत्या और जिंदा जलाए जाने के विरुद्ध उठे आंदोलनों में पत्रकारों ,बुद्धिजीवियों की हत्याओं और फ़र्ज़ी गिरफ्तारियों के विरोध में उठे संघर्षों में, लाखों लाख किसानों के जुलूसों में, भीमाकोरेगांव शौर्य दिवस के उत्सवों में तथा अन्य इस तरह के रोज–बरोज होने वाले जनता के संगठित संघर्षों में हम देख सकते हैं।

फासीवादी सत्ता का ऐतिहासिक सबक यही है कि फासीवाद चुनाव से आ तो सकता है लेकिन चुनाव से जा नहीं सकता। इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर की सत्ता चुनाव से ही आयी थी। लेकिन चुनावी रास्ते से उनका अंत नहीं हुआ।

भारत में भी सरकारों के बदलने से फासीवाद का अंत नहीं होगा, न ही गाय के नाम पर मुसलमानों और दलितों की हत्याएं रुकेंगी। न ही आदिवासियों की पुलिस–फौज द्वारा करवायी जा रही हत्याएं रुकेंगी। और न ही कठुआ की आसिफा व आगरा की संजलि जैसी बेटियों को बलात्कार, हत्या और जिंदा जला देने से बचाया जा सकता है। फासीवाद की मुकम्मिल एक सत्ता है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है इसलिए आमूलचूल परिवर्तन के बगैर चुनाव में पार्टियाँ बदलने से फासीवादी निज़ाम का अंत संभव नहीं है। हिटलर आज भी जिंदा है। इसलिए इसके विरुद्ध संघर्ष भी जिंदा है। जरूरत है संघर्ष में हिस्सेदार बनने की। ■

पाठकों से अपील

आप सभी पाठकों से गुजारिश है कि हमलोगों ने बहुत ही सीमित संसाधन के साथ फासीवाद विरोधी मोर्चा के मुखपत्र के रूप में "फासीवाद और हर तरह के शोषण–दमन के **विरुद्ध** "का सम्पादन शुरू किया है। इसकी निरन्तरता के लिए आप सबके सुझाव व आर्थिक सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इसकी सदस्यता ग्रहण करें।

न्यूनतम वार्षिक सहयोगः 50 रु डाक खर्च सहित

जहरीला माहौल बनाने में प्रधानमंत्री का योगदान सबसे बड़ा है

–निखिल वागले

निखिल वागले जाने – माने पत्रकार हैं । हिदुत्व फासीवादियों की 'टार्गेट लिस्ट' में उनका भी नाम है । पिछले दिनों दिल्ली में 'पत्रकारों पर हमले के खिलाफ कमेटी' की ओर से आयोजित सेमिनार में निखिल वागले भी वक्ता थे । हम यहाँ उनका भाषण लिप्यान्तर करके दे रहे हैं । लिप्यान्तरण बृजेश ने किया है । – सम्पादक

मैंने जनर्लिज्म की शुरूआत 1978 में की, 40 साल पूरे किये। ये धमकियां नयी नहीं है, गालियां भी नयी नहीं है, जान जाने का खतरा भी नया नहीं है। लेकिन मैंने अपने 40 साल के पत्रकारिता में इतना खराब, इतना जहरीला माहौल कभी नहीं देखा, कभी नहीं। मुझ पर पहला हमला 1979 में हुआ, दूसरा 1991 में हुआ, तीसरा बाबरी मस्जिद गिरने के बाद 1993 में हुआ और आखिरी हमला मेरे आफिस पर हुआ जब मैं 'आईबीएन लोकमत' का सम्पादक था। और इस देश में 2010 के बाद, मैं 2010 क्यों कह रहा हूं कि 2010 में मैं सोशल मीडिया पर आ गया। 2010 के पहले जो हो रहा था, गालियां मिल रहीं थी, धमकियां मिल रही थी। लोग, हम जो लिखते थे उस पर नाराज भी हो रहे थे और कहीं ऑफिस में घुसकर पीटते भी थे। 2010 के बाद सोशल मीडिया आने के बाद इन सारी चीजों को एक लिसेसटी (वैधानिकता) मिली। इनको मारने की जरूरत नहीं है, इनका पहले चारित्रिक हनन कर दो (कैरेक्टर एसेसनेस), फिर भी टिके रहते है तो फिर इनको मार दो (एसेसनेस) कर दो। ये स्ट्रेटजी है, आप ध्यान से देखिये ये है स्ट्रेटजी। आप मोदी जी की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि ये देश के सबसे खराब प्रधानमंत्री है। जिन्होंने देश का माहौल बिगाड़ा। और जहरीला माहौल बनाने में इनका योगदान सबसे बड़ा है। लेकिन मैंने ऐसे मोदी जी का अनुभव मेरे राज्य में किया है। दूसरे पार्टियों में किया है जो पार्टियों में नहीं है और आतंकवादी संगठन चलाते हैं। उनसे भी ये अनुभव लिया है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमेशा बात होती हैं पिछले 4–5 सालों से होती है। दाभोलकर, पानसारे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश के मर्डर की। गौरी जो हमारे जैसी ही जनर्लिस्ट थी। लेकिन जो संगठन इन सारे मर्डर के पीछे है। उस सनातन संगठन के ट्रोलिंग का, गालियों का, धमकियों का पहला अनुभव मैं 2012 में लिया। उससे पहले जो हमले हुए थे, हमारे जो दोस्त शिव सेना में, थे वो करते थे। मैं 'आईबीएन लोकमत' में था, टीवी शो करता था रोज। तब दाभोलकर जिन्दा थे वो मेरे शो में आते थे, सनातन वाले आते थे बहस होती थी। एक दिन सनातन वाले कुछ गलत बात कहने लगे तो एंकर का यह कर्तव्य होता है कि जो गलत बात कर रहा है या सब्जेक्ट से दूर भाग रहा है उसे रोको। मैंने उन्हें रोक लिया तो सनातन के प्रवक्ता भड़क गए और प्रोग्राम छोड़कर चले गये। दूसरे दिन ये मेरा ट्रोलिंग का पहला अनुभव था जो सोशल मीडिया के द्वारा आया । दूसरे दिन जो सनातन संस्था का अखबार ''सनातन प्रभात'' जो गन्दी–गन्दी बातें छापता है जिस पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। उसमें मेरा फोन नम्बर उन्होंने छाप दिया। उसके बाद लगातार एक महिला के मुझे सुबह से शाम तक– रात तक फोन आते थे, गालियां आती थी। उसके बाद लगातार एक महिला यह ट्रोलिंग चलता रहा। ट्रोलिंग केवल राजनीतिक पार्टियां ही करती है ऐसा मत मानिए। ट्रोलिंग का जैसा तरीका बीजेपी ने अपनाया है। सनातन जैसे जो आतंकवादी संगठन है। उन्होंने भी अपनाया है। 2012 से लेकर आज तक जो मैंने अनुभव किया है। बीजेपी का अनुभव तो रविश जी ने आपको बताया। मैं आपको कहता हूं कि रोज आपको गालियां मिलती है। नेहा ने कुछ अनुभव कहे लेकिन जब ये हम सबको स्वीकार करना होगा जब आप के बारे में रेप जैसी चीज लिखी जाती है। एक दिन सोशल मीडिया पर ट्वीटर पर मैंने देखा मेरा ट्वीटर है मेरा ही फोटो है और मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी चुनकर आते हैं तो मैं नंगा घूमूंगा। अरे यार मैंने कब ट्वीट किया था। मैं तो डर गया फिर देखा जो W है दो और W जोड़कर फेक एकाउंट बनाया गया। जब–जब मैं बीजेपी पर या मोदी जी की आलोचना करता हूं तब यह ट्वीट बार–बार वापस ट्वीटर पर आता है। उसके बाद में एक दिन एक ट्वीट आया कि आपने अपने ऑफिस में किसी लड़की का मालिसलेशन किया है ।

देखो मालेसनेस जैसी धमकी है, रेप जैसी धमकी हम कितने भी बहादुर हो डर तो लगता है। हमारे पास और कुछ नहीं है हमारी ऑनेस्टी है और कैरेक्टर है। हमने किसी से पैसा नहीं लिया है। और हम समाज को या लोगों को सच बताना चाहते है। इतना ही छोटा सा काम कर रहे हैं। लेकिन यार फेसबुक, ट्वीटर पर आप पर मालिसस्टेसस का आरोप लगता है और करने वाले जो है उनका रोज एकाउंट देखकर लगता है कि करने वाले किस पार्टी से जुड़े हुए लोग है। लेकिन जब ऐसे ट्रोल मोदी जी की पार्टी पैदा करती है। वैसी ही ट्रोल मैंने अनुभव किया है, कांग्रेस पार्टी भी पैदा करती है। मैंने अनुभव किया है। मैं साफ कहता हूं सबसे खराब ट्रोल बीजेपी के है। वह तो जहर फैलाते हैं। लेकिन जब आप सोनिया, राहुल की आलोचना करते हैं तब भी आपको गालियां मिलती हैं। और अरविन्द केजरीवाल को क्रिटीसाइज करते हैं तब भी आपको गालियां मिलती है। लेकिन सबसे जहरीले ट्रोल तो बीजेपी के हैं। ये भी सच है तो इस प्रकार से आपकी बदनामी की जाये। तो जैसा रविश जी ने कहा आपके परिवार को कैसा लगेगा, आपके बच्चों को क्या लगेगा, आपकी बीवी को क्या लगेगा। ये तो हम लोगों की आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं, समझ आती है। हमें तो आदत हो गयी है। लेकिन ये हमारे परिवार को भी नहीं छोड़ते है। रविश जी ने इसका अनुभव किया है। जब आप पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा हैं तो आपके बीवी पर लिखेंगे। बीवी पर एक दिन किसी ने मुझे कहा, कहने में भी शर्म आती है किस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर बना है। अपने देश में और पत्रकारों को चुप कराने के लिए मैं आपको बताता हूं। मुझे किसी ने कहा कि आप की बीवी किसी और के साथ सो रही है। ट्वीट किया , देखिए रविश जी ट्वीट किया मैं अपनी बीवी को दिखा भी नहीं सकता उसने किसी को टैग किया तो उसके पास गया तो मेरे पास आ गयी। ये क्या हो रहा है? उसने कहा आप मुझे रिट्वीट या ट्वीट ना कीजिए। क्यों आप ट्वीट या रिट्वीट करते है। तो मुझे बहुत–बहुत गालियां पड़ती है। इनका प्लान साफ है मैं आपको बताता हूं ,बीजेपी हो सनातन हो ये एक तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं और इनकी सत्ता तभी चलेगी जब इस देश का लोकतंत्र मर जायेगा। और लोकतंत्र मरने के लिए जरूरी है पत्रकार चुप हो। पत्रकार सच का खोज न करे, पत्रकार सच ना कहे, आलोचना न करे मैंने हर पार्टी की आलोचना की है। 2014 के पहले हम लोग कांग्रेस का हर रोज आलोचना करते थे। अन्ना आन्दोलन का लाइव टेलीकास्ट करते थे। बीजेपी वाले बहुत खुश होते थे कि अरे यार कांग्रेस की रोज आलोचना हो रही है। कभी 2जी का मामला है कभी कोई स्केम का मामला है। तो मैं आपको बताता हूं ये जो कल्चर है ट्रोलिंग का abuse का intenimation (धमकी का) 2012–13 के बाद शुरू हो गया और मैं साफ कर देना चाहता हूं जब से बीजेपी ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीद्वार घोशित किया तब से ये जो कल्चर है इस प्रकार के ट्रोलिंग का वो बहुत ही प्रभावी हो गया। सबसे पहले ट्रोल तो हमारे मालिक ही बन गए। मैं आपको बताता हूं ये जिनका नाम नहीं है। अलग–अलग नाम से कर रहे है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं 2007 से 2014 तक 'आईबीएन लो'कमत का सम्पादक का, 2007 से 2013 तक मेरे मैनेजिंग डाइरेक्टर ने मुझे कभी मेल नहीं लिखा था मेरे ट्वीट के बारे में। पहली बार 2013 में राघव बहल जो हमारे मैनेजिंग डाइरेक्टर थे, उन्होंने मेरा मेल देखा 'आप आरएसएस के बारे में, मोदी के बारे में जब ट्वीट करते हो जरा सावधानी बरतो।' जो मालिक 2007 से क्योंकि मेरे एडीटर इन चीफ रणदीप सरदेसाई थे मेरे मेल देखते थे कुछ नहीं बोलते थे लेकिन मेरा मैनेजिंग डाइरेक्टर पहली बार 2013 में कह रहा है मोदी और आरएसएस पर ट्वीट में सावधानी बरतो। यही मीडिया आनर्स है। जो अपने ही पत्रकारों का ट्रोलिंग शुरू किया। डे टू डे लाइफ में कितने किस्से बता सकता हूं कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे तब से मोदी के खिलाफ न्यूज सेन्सर होना शुरू हो गया **था**। हमारे नेटवर्क में भी हुई थी। जब सरदार पटेल के स्टैचू का भूमि पूजन हुआ था तब वहां के जो लोकल रहबासी थे उन्होंने आन्दोलन किया था। नेशनल मीडिया पर यह आन्दोलन बिल्कुल नहीं आया। आया होगा तो एक्सेप्सन में आया होगा लेकिन रिपोर्टर मुम्बई से मैंने वहां भेजी । गुजरात में और हमने ये सारा मामला वहां के जो लोग थे, वहां के जो एनजीओस थे सब विरोध कर रहे थे। ये पूरा हम लोग न्यूज बनाकर दिखाए। लेकिन मेरा ही नेशनल चैनल सीएनएन, आईबीएन उन्होंने यह नहीं दिखाया। उन्होंने हीयर ही नहीं किया। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सारी चीजें शुरू नहीं हुए। मोदी जी के पीएम बनने के पहले ही मोदी ट्रोली कैपिटलिस्ट और मीडिया का इस देश में अपवित्र एलायंस हुआ था। यह आप सोच लीजिए और यह इनका धन्धा बन गया, टेक्नीक ही बन गया कि ट्रोल करो। इससे नहीं डरता है, धमकियां दो, धमकियों से नहीं डरता है। एक दिन खून कर दो। मैं आपको बताता हूं मैंने इतने हमले देखे हैं, गालियां देखी है। मेरा पुलिस पर विश्वास नहीं है। हम कहते है हमारा लोकतंत्र पर विश्वास है। एक भी केस में 1979 में मेरे पर पहला हमला हुआ इतने साल में एक भी केस में आज तक किसी को सजा नहीं हुई। 1979 से लेकर आज तक तब तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी। तब तो कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन हमें बात करनी चाहिए इस तरह के अलोकतांत्रिक पोलिटिकल कल्चर की। अगर आप हमलावरों को सजा नहीं देंगे। अखलाक का हमलावर हो, या फिर पत्रकार का हमलावर हो किसी को सजा नहीं मिलेगी तो लोगों तक र

क्या मैसेज जायेगा या जाता है। आप जरा विचार कीजिए, सोच लीजिए उसके बाद मैं जो कह रहा हूं। इस सरकार ने इस प्रकार की ट्रोलिंग या धमकियां या entination को लेविसीवेटी दी है। जैसे रविश जी ने बताया मोदी जी तो इन लोगों को ट्वीट करते ही है लेकिन बीजेपी के बहुत सारे कैबिनेट के नेता भी इनको फॉलो करते हैं और इनको रिट्वीट भी करते है। घटिया–घटिया जो ट्वीटर पर लोग है जो गन्दी–गन्दी बातें फैलाते है, झूठ बातें। बीजेपी के स्पोकपर्सन जिनको मैंने ब्लॉक किया है मैंने क्योंकि एक स्पोकपर्सन थे संजीव वर्मा उन्होंने तो मुझे लिखा आप पेड जनर्लिस्ट है और क्या बोलते 'प्रेस्टीक्वीट' है। अगर आपकी पार्टी ऑफिसियल स्पोकपर्सन अगर जनर्लिस्ट पर यह आरोप लगता है देखो हमे पेड जनर्लिस्ट कहते हैं हम लोगों ने किसी का एक पैसा नहीं लिया है आज तक। यही कैरेक्टर हमारी अमानत है और आप कहेंगे सोशल मीडिया पर बीजेपी का स्पोकपर्सन मैने तो उसे ब्लॉक कर दिया। पहले–पहले बहुत मुसीबत होती थी, नींद नहीं आती थी। ऐसा ये पढ़कर ऐसा अनुभव क्योंकि हम लोग पहली बार कर रहे थे। नेहा जी ने कहा औरतों को किस टाइप से लिखा जाता है ओपेन जनर्लिस्ट को गन्दी–गन्दी बाते इतनी गन्दी बाते लिखी जाती है कि हम पढ़ नहीं सकते। किस प्रकार का यह कल्चर है Are the educated people इनको कह सकते हैं। educated है आप सिर्फ अपने पोलिटिकल फायदे के लिए आप लोगों के बारे में ऐसी चीजें लिख रहे हो, तो मैं मानता हूं कि आप educated भी नहीं हो और आप सुसंस्कृत भी नहीं हो। ये समझ लीजिए आप। किसी ने कहा जान जाने का वक्त आया है। सचमुच जान जाने का वक्त आया है पुलिस हमें बचा नहीं सकती। जब मैं सनातन के लिए टारगेट लिस्ट पर मेरा नाम है ऐसा सब जगह न्यूज पर आयी तब पुलिस मेरे घर आयी एक बड़े पुलिस अफसर ने मुझे फोन किया और कहा देखो आपको प्रोटेक्सन लेना चाहिए हमने कहा देखो प्रोटेक्सन लेकर तो कुछ नहीं होगा। मेरा पुलिस पर विश्वास ही नहीं है। क्योंकि पहले जो हमले हुए हैं हमले के वक्त हमारे यहां की सिक्युरिटी और पुलिस गायब थी। मेरे समझ में नहीं आता अगर हमले के वक्त पुलिस नहीं है। तुम्हारी सिक्युरिटी कैसे करेगी तो मैंने कहा मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं है, मुझे पुलिस से सिक्युरिटी नहीं चाहिए। पुलिस अफसर ने कहा कि यह ध्यान रखिये शिवसेना ने आप पर हमले किये, लेकिन शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है। सनातन एक कल्ट है कल्ट! तो किसी दिन आप पर कुछ भी कर सकती है। यह पुलिस अफसर कह रहा है। इस देश में अगर एक आतंकवादी कल्ट किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी को भी मार सकता है। तो क्या इस देश में संविधान है, कानून है, मेरा ये सवाल है मेरा आप प्रोटेक्सन देकर एक पुलिस कान्सटेबल या पुलिस मेरे साथ आ जाये तो क्या वह मुझे बचा सकता है। आपको एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिनसे सारे लोगों को सारे सिटीजन को सुरक्षित लगे एक को , दो को प्रोटेक्सन देकर कुछ होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। दाभोलकर का खून हुआ, कलबुर्गी का खून हुआ, पानसारे का खून हुआ, लंकेश का हुआ कल किसी का भी हो सकता है। मैं आज ही ये बताना चाहता हूं कोई व्यवस्था नहीं है इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया है लेकिन मैं यह विश्वास से नहीं कह सकात कि दाभोलकर, पानसारे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश के मर्डर में जिनको अरेस्ट किया है आगे चलकर सजा हो मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि सबूत इकट्ठा करने में पुलिस गड़बड़ करती है बाद में वो छूट जाते हैं तो इस सिस्टम पर मेरा विश्वास नहीं है। एक जमाने में था 25 साल पहले 30 साल पहले मुझे लगता था कि यह सिस्टम सुधरेगी तो क्या करना चाहिए। आखिरी मेरा मुद्दा यह है कि क्या करना चाहिए मैं इस सम्मेलन के जो आयोजक हैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं। इस प्रकार का यह पहली नेशनल कन्वेशन है इसके पहले हम इकट्ठा होते थे। जब हमला होता है या हमले के बाद आपने कन्वेशन हमला होने के पहले लिया यह अच्छी बात है।

मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कोई ऐसा सिस्टम बनाये जहां पत्रकारों को सुरक्षित महसूस होगा मुझे मालूम है आप कोई पुलिस का काम नहीं कर सकते लेकिन अगर किसी के उपर हमला होता है तो पुलिस भी ठीक तरीके से एफआईआर नहीं लिखती। बाद में फालोअप नहीं होता बाद में कोर्ट में जाना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं। डिफरमेशन कैसे बड़ा हथियार बना गया है। सनातन ने पिछले साल से मेरे उपर 3 डिफरमेशन केसेस किये है हर आर्टिकल के बाद डिफरमेशन केस करते है। और डिफरमेशन कहां से गोवा से क्योंकि उनका हेड क्वार्टर गोवा है। इनका मकसद ही यह है कि डिफरमेशन केस करके आपको परेशान किया जाय। हर बार आपको गोवा जाना पड़ता है, हर बार जहां कहीं केस है। वहां जाना पड़ता है। तो ये एक प्रकार का टार्चर है और ये this is abuse of the system. Theis people are doing that पत्रकारों को डराने के लिए कानून का इस्तेमाल भी ये लोग इस तरह से करते है। इसलिए इन्होंने एक हिन्दुत्व विधिक परिशद बनाया है। एक लायर्स का संगठन बनाया है जो हिन्दुत्व पर विश्वास करते है। मेरा कहना ये है कि हम जैसे लोगों को एक तो सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। एक जमाने में पत्रकारों के संगठन थे। हमारे यहां बाम्बे यूनियन ऑफ जनर्लिस्ट था हम लोग लड़ते थे। सड़क पर उतरते थे। जब बिहार प्रेस बिल आया तब हम लड़े और कुछ आया हे सड़क पर उतर आये। आज के जमाने में पत्रकारों के संगठन नहीं रहे । एडिटर गिल्ट तो कुछ काम का ही नहीं है। क्योंकि जब कोई घटना होती है हमें 10 बार ट्वीट पर लिखना होता है कि एडिटर गिल्ट का स्टेटमेन्ट कहां है। एडिटर गिल्ट को जो अध्यक्ष है। वो 10 दिन के बाद स्टेटमेन्ट देते है। मुझे लगता है आपका संगठन और सीपीजे को मिलकर कुछ करना चाहिए कि इस प्रकार के केसेस हो । अटैक के केसेस हो इसका फॉलो करने के लिए उस पत्रकार को मदद करना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि हम लोग शहरवासी पत्रकार हैं। मैं मुम्बई से आता हूं। ये लोग दिल्ली से आते हैं। सबसे खराब हालत तो गांव के पत्रकारों की है। उनकी तो नौकरी भी परमानेंट नहीं है। वोतो फ्रीलांसर है। हमारे स्ट्रिगर्स हैं। कहीं दारू माफिया उन्हें मार रहा है, महाराश्ट्र की बात मैं कर रहा हूं। कम से कम 50 ऐसे एपिसोड्स होंगे। कहीं रेत माफिया है, कहीं दारू माफिया, कहीं सुगर माफिया है। रूरल एरिया में गांवों में पत्रकारों पर ये लोग हमला करते हैं। पुलिस एफआईआर भी रजिस्टर नहीं करती। क्योंकि ये माफिया कोई पॉलिटिकल लीडर किसी भी पार्टी का हो, वो चलता है। इन पत्रकारों के लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग लड़ सकते हैं शहर में जो पत्रकार हैं हमारे जैसे लोग साथ भी देते हैं । लोग साथ देते हैं इसीलिए हम लोग यहां तक आए हैं, लेकिन गांवों के जो पत्रकार हैं दूर–दूर देश के जो पत्रकार हैं उन लोगों के लिए हम लोगों को एकजुट होकर कुछ करना चाहिए मरने का तो डर है, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कभी भी आप मर सकते हो कभी भी आपको गोली लग सकती है। गाली को तो छोड़ दीजिए लेकिन ये डर है कि हम डरेंगे नहीं। देखिए हम लोगों के लिए हमारी पत्रकारिता एक सत्य की खोज है और इस खोज के लिए हम जिन्दगी भी देने के लिए तैयार है। आप हमे मारो कोई नया पत्रकार भी आकर यही करेगा, जरूर करेगा। तो हम ट्रोल से डरते नहीं, हम धमकियों से डरते नहीं, हम सिर्फ डरते है एक बात से जो पत्रकारिता कुछ चन्द लोग कर रहे है। अच्छी पत्रकारिता क्या वह तो नहीं मरेगी ? ■

जलाने की संस्कृति

संजलि बिटिया
जिंदा जलाना
हिंदू परंपरा का हिस्सा है
हर वर्ष तुम्हारी परदादी–दादी
होलिका को जलाने का
सामूहिक जश्न मनाया जाता हैं
सती इस संस्कृति की सबसे आदर्श स्त्री है
जिसे जिंदा पति की चिता में झोंक दिया जाता था
आज भी हजारों सती मंदिर हैं
जहां लाखों श्रद्धालु सिर नवाते हैं
सीता को आग मे कूदने का आदेश
मर्यादा पुरूषोत्तम राम ने दिया था
आदर्श हिंदू परिवरों में
दहेज के लिए बहुओं को जलाना
आम बात है
तुम्हें आग के हवाले कर
इस संस्कृति के बहादुर बेटों ने
अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया है
यह वह परंपरा है
जिस पर हिंदू धर्मग्रंथ गर्व करते है
महाकाव्य जिसका गुणगान करते हैं
हिंदुओं के नायक–महानायक
महान भारतीय संस्कृति कहते हैं
अनार्य होलिका को जिन्होंने जिंदा जलाया था
अनार्य ताड़का का जिन्होंने वध किया था
उन्हीं के वंशजों ने तुम्हें भी जिंदा जलाया
मेरी बेटी इस देश मे जलाई जाने वाली
तुम पहली लड़की नहीं
न ही तुम अंतिम लड़की होगी
जब तक औरतों को जलाने की संस्कृति पर
गर्व किया जाता रहेगा
कोई न कोई संजलि जलाई जाती रहेगी

– रामू सिद्धार्थ

उत्तर प्रदेश : फर्जी इन्काउन्टरों का प्रदेश

– मसीउद्दीन संजरी

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरूस्त करने के नाम पर योगी सरकार ने अपनी 'ठोक दो' नीति के तहत पुलिस को फर्जी इनकाउंटर करने की खुली छूट दे रखी है। इन इनकाउंटरों के सच का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए लोगों की लाश को अंतिम क्रियाक्रम के लिए भी परिजनों को नहीं देती। इनकाउंटर पश्चात परिजनों को एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक देने से इनकार कर देती है और पुलिसिया रौब दिखा कर परिजनों से सादे कागज़ पर हस्ताक्षर करवा कर कानूनी खानापूर्ति कर देती है। इस तरह पुलिस को राजनीतिक विरोधियों, अल्पसंख्यकों और समाज के दबे कुचले लोगों की इनकाउंटर में हत्या कर देने का लाइसेंस मिल गया है। यही वजह है कि योगी के सत्ता संभालने के बाद से उत्तर प्रदेश में 1500 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं जिनमें 67 लोगों की मौत हुई है और 500 से अधिक लोगों को गोली लगी है।

यूपी पुलिस द्वारा सबसे अधिक मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ है जो कुल इनकाउंटरों का लगभग 46 प्रतिशत है। इसके बाद दलित और पिछड़ा वर्ग इन फर्जी मुठभेड़ों का शिकार हुए हैं। इन इनकाउंटरों की पोल उस समय खुल जाती है जब प्रदेश की राजधानी में एपल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी को रात में डेढ़ बजे सुनसान सड़क पर पुलिस गोली मार देती है। विवेक तिवारी मामले में रातो–रात सत्ता और नौकरशाही में मौजूद पंडित लॉबी ग़ोलबंद हो जाती है तो पहले इनकाउंटर को सच साबित करने का प्रयास करने वाली पुलिस के मुखिया लिखित बयान जारी कर के माफी मांगते हैं। दोषी पुलिस वालों को गिरफ्तार और बर्खास्त कर दिया जाता है। आमतौर पर इनकाउंटरों के बाद मीडिया पुलिस के प्रवक्ता की तरह काम करने लगती है लेकिन इस मामले में वह भी पुलिस को घेरने लगी। सरकार पीड़ित परिवार को मुआवज़े के रूप में कुल चालीस लाख रूपया और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करती है। दूसरी ओर दिन के उजाले में पुलिस मुसलमान, दलित और पिछड़ा वर्ग के नवजवानों को घर या बाज़ार से परिजन और जनता के सामने उठाती है और बाद में फर्जी मुठभेड़ की कहानी गढ़ कर गोली मार देती है फिर भी कोई हंगामा नहीं होता। अलीगढ़ के मुस्तक़ीम और नौशाद की बात हो या आजमगढ़ के जयहिंद यादव, मुकेश राजभर, रामजी पासी और ऐसे कई अन्य के साथ ऐसा ही हुआ है। राकेश पासी के परिजनों ने बताया कि जब पुलिस की सूचना पर वह लोग अस्पताल पहुंचे तो देखा कि राकेश लाल टी शर्ट पहने हुए था। उसके सीने और पीठ में कई गोलियां लगी थीं मगर टी शर्ट में कोई सूराख नहीं था। पुलिस ने परिजनों से सादे कागज़ पर हस्ताक्षर करवाए और कहा कि लाश देने का कोई कानून नहीं है। छन्नू सोनकर अमरूद की बाग़ में था। पुलिस उसे उठा कर ले गई और दूसरे दिन परिजन को सूचना मिली कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। पंकज यादव को पुलिस ने उठा लिया तो परिजनों ने फर्जी इनकाउंटर की आशंका से 100 नम्बर पर फोन लगाकर घटना की जानकारी भी दी लेकिन इसके बावजूद आज़मगढ़ पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर में उसके पैर में गोली मार दी। आफताब अहमद अपने साथी मोनू (दलित) के साथ कचेहरी से अपना मुकदमा देख कर घर वापस आ रहा था कि रास्ते से पुलिस ने दोनों को उठा लिया और देर रात तक पुलिस की गाड़ी में इधर–उधर घुमाती रही लेकिन मामला सार्वजनिक हो जाने के कारण इनकाउंटर नहीं कर पाई।

कई मामले में पुलिस ने इनकाउंटर पीड़ितों को मुठभेड़ में मार गिराने के लिए खुद ही ज़मीन तैयार की। मुकेश राजभर को पहले पुलिस ने फर्जी मामले में जेल भेजा और रिहाई के बाद परिजनों पर दबाव बनाया कि उसे किसी दूसरे शहर भेज दें। उसने ऐसा ही किया लेकिन उसकी अनुपस्थिति में पुलिस ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया और अंत में कानपूर से उठाकर उसे अगले दिन गोल मार दी। इसी तरह मुज़फ्फरनगर निवासी फुरकान किसी मामले में सात सालों से जेल में बंद था। परिजन पैसे के अभाव में उसकी ज़मानत नहीं करवा पा रहे थे। पुलिस ने अपनी पहल पर उक्त मामले में सुलह करवाकर उसे रिहाई दिलवाई लेकिन दो सप्ताह भी नहीं बीते थे कि कुख्यात इनामी बदमाश बता कर फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी गई। परिजन का आरोप है कि फुरकान की पसलियां टूटी हुई थीं।

फर्जी इनकाउंटरों का शिकार बने कई युवक राजनीति में सक्रिय थे और विरोधियों की आंख की किरकिरी बने हुए थे। रईस अहमद को बाराबंकी में पैर में गोली मार दी गई वह जिला पंचायत चुनाव लड़ चुका था। रामजी पासी ने 600 मतों से बीडीसी का चुनाव जीता था जबकि राकेश पासी प्रधानी के चुनाव में दूसरे नम्बर पर रहा था। पंकज यादव के पिता राम बृक्ष यादव जिला पंचायत सदस्य रह चुके है और बेटा पंकज विधायकी के चुनाव की तैयारी कर रहा था। पुलिस की हर कहानी में इनकाउंटर में घायल होने वालों के पैर में घुटने के पास ही गोली लगती है और कथित रूप से इन इनकाउंटरों में घायल पुलिस वालों के हाथ में गोली लगती है। पुलिस वाले एक दो दिन में ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ जाते हैं लेकिन इनकाउंटर के शिकार लड़कों को जेल भेज दिया जाता है और उन्हें इलाज से वंचित रखा जाता है। परिजन को उचित उपचार के लिए भी कचेहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इलाज के अभाव में आज़मगढ़ के भीम सागर का पैर तक काटना पड़ा।

खास बात यह है कि इन इनकाउंटरों के बाद पुलिस के बयानों में पीड़ितों को कुख्यात और कई साधू अपराधिक घटनाओं में वांछित इनामी बदमाश बताया जाता है। मानवाधिकार कार्यकताओं का कहना है कि इनकाउंटर से कुछ पहले पुलिस चिन्हित व्यक्ति को आसपास की घटनाओं की एफआईआर में अज्ञात की जगह फिट करती है और कागज़ पर ही इनाम भी घोषित कर देती है ताकि इनकाउंटर के पश्चात जनता को यह बताया जा सके कि इतने मुकदमों में वांछित और इतने का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इनकाउंटर में घायल अकरम पर पुलिस द्वारा उठाए जाने की तारीख तक एक भी मुकदमा नहीं था जबकि 18 साल के मुकेश राजभर पर साइकिल चोरी का केवल एक मुकदमा दर्ज था। अलीगढ़ के मुस्तकीम और नौशाद मुठभेड़ कांड में तो मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कई हत्याओं से उनका नाता जोड़ दिया जिसमें बहुचर्चित साधू हत्याकांड भी शामिल है और अलीगढ़ पुलिस उस मामले में पहले ही एटा की किसी गैंग के शामिल होने घोषणा भी कर चुकी थी। इस मामले में साधू के परिवार और मुस्तकीम व नौशाद के परिवार ने पुलिस पर झूठ गढ़ने का आरोप लगाया है।

योगी राज में होने वाले अंधाधुंध इनकाउंटरों के बाद किसी तरह की कानून कार्रवाई करने से रोकने के लिए परिजनों और मानवाधिकार एंव सामाजिक कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाने और धमकाने की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। उमैर के पिता शमशाद (60 वर्षीय) को पुलिस ने कार चोरी के आरोप में जेल भेज दिया। उनका अपराध यह था कि उन्होंने अपने बेटे के पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। आज़मगढ़ के राकेश पासी फर्जी उनकाउंटर के खिलाफ आवाज़ उठाने का मामला हो या अलीगढ़ के मुस्तकीम और नौशाद का, सवाल उठाने वालों पर पुलिस और आक्रमक हो जाती है। अलीगढ़ में तो पुलिस ने साम्प्रदयिक फासीवादी संगठनों से साज़बाज़ कर के ऐसे सवाल उठाने वालों पर कई बार हमला तक करवाने का प्रयास किया। मुख्यधारा का मीडिया जो विवेक तिवारी की हत्या के बाद आसमान सिर पर उठा लेता है तो मुकेश राजभर, रामजी पासी, जयहिंद यादव या मुस्तकीम और नौशाद की हत्या पर सरकार और पुलिस प्रशासन का भोपू बन जाता है और इन हत्याओं को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बताने लगता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसी ही 17 हत्याओं की जांच कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है लेकिन पीड़ितों को अब तक कोई उल्लेखनीय राहत नहीं मिल सकी है। इस रक्त रंजित व्यवस्था में पूर्व की सरकारों में भी कानून को ठेंगा दिखाते हुए अल्पसंख्यकों और हाशिए पर खड़े समाज का खून पानी की तरह बहाया जाता रहा है लेकिन योगी के पिछले डेढ़ साल के कार्यकाल में इसमें केवल तेज़ी ही नहीं आई बल्कि 'ठोक दो' की नीति के तहत पूरी सीनाज़ोरी के साथ फर्जी इनकाउंटरों की बाढ़ सी आ गई। जब फर्जी इन्काउटर जैसे गंभीर मुद्दों पर मीडिया सरकार और प्रशासन का पक्षकार बन जाए और राजनीतिक दल चुप्पी साध लें तो सड़कों पर प्रतिरोध के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। ■

प्रेस – विज्ञप्ति

फासीवादी हमले के खिलाफ अखिल भारतीय कन्वेशन हेतु तैयारी कमेटी

केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सत्ता आने के बाद से राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ भाजपा शासन के फासीवादी हमले के तहत लोग पिस रहे हैं। यह फासीवादी हमला बहुआयामी है। यह साम्राज्यवादीयों तथा कारपोरेट और बड़े–भूस्वामीयों के आर्थिक हमलों की सेवा के लिए है। नोटबन्दी, जी0एस0टी0 लागू कराने जैसी अर्थिक नीतियों के अलावा इस सरकार ने ऐसे कानून बनाये है जिससे मजदूरों और किसानों का घोर दक्षिणपंथी हिस्सा तक कुचला महसूस करता है।

राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश भक्ति और प्राचीन संस्कृति (सनातन धर्म) आदि के नाम पर इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और यहॉ तक सैनिक कार्यवाहियॉ भी उन लोगो पर की जा रही है जो उनके रास्ते का अनुकरण नहीं करते। इन हमलों का निशाना धार्मिक अल्पसंख्यक खास तौर पर मुस्लिमों, ईसाईयों, दलितों, आदिवासियों, औरतों, कान्तिकारियों और जनवादी ताकतों को बनाया गया है।

नरेन्द्र मोदी सरकार के साढ़े चार वर्षों में यह उन वादो को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रही है जो भ्रष्टाचार खत्म करने, किसानों की आमदनी दुगनी करने, लाखों रोजगार तैयार करने, छोटे और मझौले उधोगो की मद्द करके आर्थिक उछाल लाने आदि सम्बन्ध में किये थे। इसके अलावा राफेल सौदे आदि मामलों में भ्रष्टाचार की बढ़ी हुई डरावनी तस्वीर दिखाई दे रही है। वे एकडमिक संस्थाओं पर नियन्त्रण करने, जॉच की भावना का गला घोटने और विरोध की संस्कृति खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया और न्यायपालिका को भी लगातार आतंकित किया जा रहा है। दलितों, मुस्लिमों के खिलाफ भीड़ की हिंसा की घटनायें भी बढ़ रही हैं। विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारियों तथा दाभोल्कर, गौरीलंकेश आदि की हत्याओं पर बुद्धिजीवियों की चुप्पी ने फासीवाद विरोधी ताकतों को फासीवादीं हमलों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए उत्तेजित कर दिया है। पिछले दो वर्षों में कई स्वतः स्फूर्त तथा संगठित रूप से भी प्रतिरोध की घटनायें हुई है। कई व्यक्तियों तथा संगठनों ने फासीवाद – विरोधी मंचों का गठन करने में पहलकदमी ली गयी तथा कार्यक्रम लिये गये । इन प्रायासों को एकजुट करने और फासीवाद के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा करने की जरूयत है। इसलिए कुछ संगठनों और मंचो ने एक साथ आकर फासीवाद के खिलाफ व्यापक सम्भव एकता बनाने की पहल की है। इनमें मजदूर यूनियन, किसान संगठन, विद्यार्थी, नौजवान, महिला संगठन, धार्मिक अल्पसंख्यक संगठन, आदिवासी, दलित संगठन, फासीवाद विरोधी मंच आदि शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों के है। इन संगठनों ने फासीवादी हमले के खिलाफ संघर्ष हेतु एक मंच बनाने के लिए तैयारी कमेटी गठित की है। तैयारी कमेटी ने कलकत्ता में बैठक की और फैसला लिया कि नयी दिल्ली में 22–23 फरवरी को फासीवादी हमलों के खिलाफ अखिल भारती कन्वेशन का आयोजन हो तथा इस कन्वेशन में फासीवादी हमले के खिलाफ संघर्ष के लिए मंच गठित हो।

सदस्य संगठन – 1. इफ्टू, 2 .ए0आई0के0एम0एस0, 3. के0एन0पी0एस0, 4. एफ0एच0एफ0 तेलांगाना, 5. एन0टी0यू0आई0, 6. एफ0एफ0आई0, 7. पी0आई0एफ0आई0, 8. एफ0वी0एम0, 9. एफ0एस0एच0, आसाम, 10 के0जे0एस0, कर्नाटक, 11. एफ्ट, 12. पी0ओ0डब्लू, 13 ए0आई0के0एम0एस0, 14, टरूणोदय, 15 बी0ए0एस0ओ0, दिल्ली ,16 बी0एस0सी0ई0एम0 , दिल्ली, 17. टी0एस0एल0यू0पी0, त्रिपुरा, 18 ए0ई0एम0, हरियाणा, 19. रिपब्लिक पैथर्स महाराष्ट्र, 20त्र पी0वाई0एल0, बंगाल, 21. बी0एम0डी0, 22, आई0एम0एस0, दिल्ली, 23. पी0एम0एस0, दिल्ली, 24, ए0एम0एस0, तेलगाना, 25. ई0सी0एल0टी0ए0यू0, बंगाल, 26 पी0एस0यू0, पंजाब

पटेल का एकीकरण करने वाले के रूप में गुणगान न करें, वे एक दागी हीरो हैं!

– स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर

प्रस्तुत आलेख 4 नवंबर, 2018 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' अंग्रेजी दैनिक में छपा था। हम लेखक के कश्मीर के पाकिस्तान में जाने जैसे विचार से सहमत नहीं हैं। क्योंकि यह कश्मीर की अवाम का हक है कि वे तय करें कि उन्हें कैसे रहना है। फिर भी लेखक के विचार पटेल के संदर्भ में विचारणीय है। इसका अनुवाद मंसूर ने किया है।

–संपादक

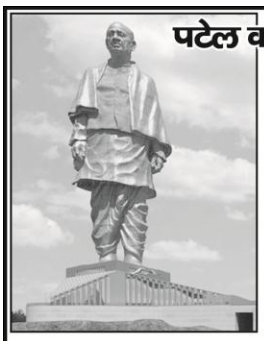

भारत के 'लौह पुरूष' सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हुए 31 अक्टूबर को गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने 1947 में 500 से अधिक रियासतों को एक साथ मिलाकर एकीकृत भारत बनाने में सहायता किया। उनके जन्मदिन को अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

पटेल का अत्यधिक यशोगान किया गया है। जबकि मैं उन्हें एक दागी हीरो के रूप में देखता हूँ। वे आजादी के महान नेता थे। तथापि उनकी जयंती एक अवसर है जब उनकी सफलताओं के साथ साथ असफलताओं को भी याद किया जाय।

1946 में जब आजादी निकट थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से एक अंतरिम सरकार का गठन किया। नेहरू प्रधानमंत्री, पटेल गृहमंत्री और लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। सत्ता–साझेदारी के इस प्रयोग में, मुस्लिम लीग को समाविष्ट करने के लिए कांग्रेस को एड़ी–चोटी का जोर लगाना चाहिए था, जिससे यह साबित होता कि बिना बँटवारा किए संयुक्त भारत में हिन्दू और मुस्लिम एक साथ काम कर सकते हैं। परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

लियोनार्द मोज्ली 'ब्रिटिश शासन के अन्तिम दिन' में इसका दृष्टान्त दिखाते हैं कि दूसरे सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्री माने जाने वाले पटेल किस प्रकार इस बात से व्यथित थे कि वे बिना वित्त मंत्रालय की अनुशंसा के एक चपरासी की भी नियुक्ति नहीं कर सकते थे, जो अनुशंसा लियाकत अली आसानी से देते नहीं थे। लियाकत की नौकरशाही खेलों ने सभी कांग्रेस मंत्रियों का जीना दूभर कर दिया था।

संकट आया 1947 में। भारतीय उद्योगपतियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न अभावों से अच्छी कमाई की थी। लियाकत ने युद्धकालीन इस अनैतिक मुनाफे को वापस खींचने के लिए कर की उच्च दरों वाला समाजवादी माना जाने वाला बजट पेश किया। गुजरात के कपड़ा उद्योगपतियों, पटेल के मित्रों और समर्थकों ने इसे अपने ऊपर मुस्लिम लीग के ऐसे आक्रमण के रूप में प्रचारित किया जिसने समाजवाद का चोला ओढ़ रखा था। इससे पटेल के विकसित होते उस विचार को और बल मिला कि मुस्लिम लीग के साथ रहना संभव नहीं था।

वास्तव में, गुजरात के उद्योगपति हिन्दू साम्प्रदायिकता के दोषी थे। पारसी और मुस्लिम उद्योगपति भी ऊँचे करों से प्रभावित हुए थे। पटेल को चाहिए था कि लियाकत के इस बजट को सत्ता साझेदारी का एक अनिवार्य सिर दर्द मानकर अपना पल्ला झाड़ लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

फरवरी 1947 में, कांग्रस पार्टी विभाजन के मुद्दे पर उदासीन हो चुकी थी। चार महीने के भीतर ही, पार्टी ने यू–टर्न लेते हुए विभाजन का विकल्प चुन लिया। लियाकत का बजट ही एकमात्र कारण नहीं था। 1946 के जिन्ना के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ने सामूहिक साम्प्रदायिक हत्याओं की ज्वाला को भड़का दिया था जो बाद के महीनों में पूरे भारत में फैल गया, इससे कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सोचा कि मुसलमानों को उनका इच्छित पाकिस्तान देने से साम्प्रदायिक सद्भाव कायम हो जायेगा। एलन कैम्पबेल–जॉनसन 'माउण्टबेटेन के साथ मिशन' में नेहरू को कहते हुए दिखाते हैं कि सिर दर्द के इलाज का एक तरीका यह है कि सिर दर्द के कारण को काट फेंका जाय।

तब आया माउण्टबेटेन का ऑफर कि आजादी की तारीख को अग्रिम करके जून 1948 की जगह अगस्त 1947 कर दिया जायेगा बशर्ते कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक राजनैतिक पैकेज पर राजी हो जायँ। इसने ताबूत में आखिरी कील का कार्य किया। शीघ्र की आजादी वाली शर्त का विरोध करने में नाकाम होकर पटेल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता भारत के बँटवारे के मुद्दे पर मुस्लिम लीग के साथ सहमत हो गये।

इस प्रकार, पटेल विभाजन के शिल्पी थे। आज एक महान एकीकारक के रूप में उनकी जय जय कार किया जाना निश्चित ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। बँटवारा एक महान विभाजन था, कांग्रेस के सभी बड़े नेता महान विभाजक थे।

दूसरी सबसे बड़ी भूल थी बँटवारे का आनन–फानन में निर्णय लेना। इतने बड़े परिवर्तन के लिए सावधानीपूर्वक सलाह और तैयारी की आवश्यकता थी। एक गृह मंत्री के रूप में पटेल को तर्क प्रस्तुत करना चाहिए था कि त्वरित और बिना तैयारी के किया गया विभाजन सार्वजनिक व्यवस्था का संकट पैदा कर सकता है, खासकर जब सामूहिक जनसंहार और प्रवर्जन शुरू हो गया था।

इसके बजाय, वे दोनों देशों के नेताओं के साथ मिलकर एक दोशपूर्ण विभाजन पर अड़ गये जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गये और करोड़ों लोग बेघर हो गये, यह इतिहास के गम्भीरतम संकटों में से एक साबित हुआ।

ब्रिटिश भारत में 584 रियासतें थीं, जिनमें ज्यादातर हिन्दू बहुसंख्या वाली थीं। पटेल ने इनमें से 500 से अधिक को भारत के साथ सम्मिलित होने के लिए सहमत किया। इसके लिए उन्हें महान एकीकारक कहा जाता है। जबकि बिना किसी पटेल के पाकिस्तान भी मुस्लिम बहुल रियासतों को अपने साथ मिलाने में सफल रहा। रियासतों ने शामिल होना इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि वे जानतीं थीं कि प्रतिरोध करने पर सैन्य कार्रवाई करके उनपर कब्जा कर लिया जाता, जो हैदराबाद व कश्मीर के साथ हुआ। भारत या पाकिस्तान किसी के भी साथ एकीकरण अपरिहार्य था चाहे पटेल रहते या नहीं रहते।

तीसरी बड़ी भूल– और यहाँ पर मैं अधिकांश भारतीयों के विचार से सहमत नहीं हूँ। हिन्दू–मुस्लिम आधार पर विभाजन के लिए सहमति हो जाने के बाद, सभी राजनीतिक पार्टियों का नैतिक और व्यावहारिक दायित्व था कि इसे निबाहा गया होता। नेहरू और पटेल को मुस्लिम बहुल कश्मीर को भारत के साथ मिलाना नहीं चाहिए था।

कश्मीर यदि पाकिस्तान के साथ गया होता तो भारत–पाकिस्तान युद्धों में तथा सीमा पर चल रहे अन्तहीन टकराव में व्यय हुआ मानवीय और वित्तीय मूल्य वास्तविक लाभ की तुलना में अत्यल्प होता। भारत में चीन के साथ लगी हुई लद्दाख सीमा नहीं होती, और वहाँ हो रहा टकराव नहीं होता।

ज्यादातर भारतीय सोचते हैं कि कश्मीर को भारत में मिलाया जाना पटेल की उपलब्धि थी। लेकिन आज ज्यादातर कश्मीरी भारत से घृणा करते हैं और वे खुले तौर पर विद्रोह की मुद्रा में हैं। यह वह महान एकता नहीं है जिसका श्रेय पटेल को दिया जाता है। ■

जब तक पेशवाई जिन्दा रहेगी तब तक भीमाकोरे गांव शौर्य गाथा गायी जाएगी

– विश्वविजय

1 जनवरी नए साल के जश्न का दिन है। 1 जनवरी भीमकोरे गांव शौर्य गाथा के उत्सव मनाने का भी दिन है। हमारे देश में शूद्र, दलित और दमित जातियों के उत्पीड़न की क्रूर गाथाएं बहुत हैं। शूद्र, दलित होने मात्र के कारण आज भी देश की यह आबादी क्रूर उत्पीड़न, अपमान की शिकार है। इस उत्पीड़न और अपमान के विरुद्ध बगावतों और लड़ाइयों का भी गौरवशाली इतिहास है। भीमाकोरे गांव शौर्य दिवस की गाथा उसी गौरवशाली इतिहास की गाथा है। उस समय मराठा (महाराष्ट्र) में मराठा पेशवाओं का राज़ था। उनके राज में महारों(शूद्रों) को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक स्थलों पर निकलने से पहले अपने गले में हाड़ी और कमर के पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी। जिससे उनके पैरों के निशान खुद–ब–खुद मिटते रहें और उनका थूक सार्वजनिक स्थल पर न गिरे ताकि रास्ता और सार्वजनिक स्थल 'अपवित्र' न हो जाएं। पेशवाओं के राज में शूद्र, दमित जातियों पर क्रूरता और अपमान का यह नियम बानगी के तौर पर देख सकते हैं। रोज–ब–रोज के अपमान और जानवरों से भी बदतर जीवन जीने को मज़बूर किये गए शूद्रों में भारी गुस्सा था। वे अंग्रेजों की फौज के साथ मिलकर मराठा पेशवाओं को जंग में करारी

शिकस्त दी थी। महारों की 500 वाली इस बहादुर सेना ने मराठा पेशवाओं की 20000 से अधिक संख्या वाली सेना को परास्त किया। शौर्य गाथा का यह इतिहास 1818 का है। डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के इस गौरवशाली संघर्ष के इतिहास से सबक लेते हुए 1926 में "समता सैनिक दल" स्थापना की थी और 1 जनवरी 1927 को अपने साथियों के साथ जाकर महार शहीद सैनिकों को याद किया था। तब से 1 जनवरी को भीमाकोरे गांव की उस जगह पर लाखों की संख्या में लोग जमा होते हैं और जाति भेद के ज़हर को मिटाने का संकल्प लेते हैं।

पिछले वर्ष लाखों की संख्या में लोग वहां जमा हुए तब नई पेशवाई सरकार के गुंडों ने उनपर हमला किया। पीड़ित पक्ष ने उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई। इस नामजद FIR में 'संभाजी भिंडे और मिलिंद एकबोटे' का नाम भी शामिल है जो प्रधानमंत्री मोदी का गुरु है। इन हमलावरों पर कार्यवाही करने की वजाय सरकार ने 'भीमाकोरे गांव शौर्य दिवस' कार्यक्रम के आयोजकों पर ही फ़र्ज़ी मुकदमा दायर करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें जेल भेज दिया गया। नई पेशवाई सरकार के इस हमले का शिकार प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि वरवरा राव, मानवाधिकार कार्यकर्ता व अधिवक्ता सुधा भारद्वाज, अधिवक्ता अरुण फरेरा, क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता वर्नन गोंजाल्विस और बुद्धिजीवी लेखक गौतम नौलखा शामिल हैं। गौतम नौलखा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इसके पहले भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसी मामले में जेल भेजा जा चुका है।

इन घटनाओं से यह तो साफ है की सरकार (नई पेशवाई) 'भीमाकोरे गांव के संघर्ष की परम्परा ज़िंदा रहे' से बेहद घबराई हुई है। वह नहीं चाहती कि इस देश से जाति का समूल नाश हो। नई पेशवाई सरकार मनुवादी–ब्राह्मणवादी फांसीवाद का रूप अख्तियार कर हमला कर रही है। इस लिए भी भीमाकोरे गांव की शौर्यगाथा को रोज–रोज गाने, दुहराए जाने की ज़रूरत है क्योंकि पेशवाई निज़ाम अब भी ज़िंदा है। ■

ब्राह्मणवादी पितृसत्तामक फासीवाद आज औरतों की मुख्य दुश्मन है। - आबिदा

ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी अभी हाल ही में भारत आए. उनके हाथ में किसी ने पोस्टर थमा दिया. 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता मुर्दाबाद! 'आरएसएस–भाजपा और सोशल मीडिया के ब्राह्मणवादी दिमागों में हलचल मच गयी. इन्होंने इतना हंगामा मचाया कि सीईओ महोदय को माफी मांगनी पड़ी. ट्विटर ने भी यह कहा कि उनके संगठन की ऐसी सोच नहीं है. ऐसा नहीं है कि सीईओ महोदय को भारत की पितृसत्ता की वर्णवादी व जातिवादी संरचना की समझ नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ। दरअसल, फासीवादी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की साम्राज्यवाद से हमेशा से सांठ–गांठ रही है. भारतीय समाज की औरतें हमेशा से इनकी जघन्यता की शिकार रही हैं.

वस्तुतः ऐतिहासिक रूप से पितृसत्ता का उदय वर्ग की पैदाइश के साथ नाभिनालबद्ध है . पर भारत की विशेष सामाजिक परिस्थिति में यह और विशिष्ट हो जाती है जहां जातिव्यवस्था वर्ग और पितृसत्ता के साथ नत्थी है. ऐसे में उच्चवर्ण की ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक मानसिकता भारत के सवर्णों की मानसिकता के मनोविज्ञान में रची–बसी है.

फासीवाद संकटग्रस्त वित्तीय पूंजीवाद की एक ऐसी स्थिति है जहां शासक वर्ग संकट को टालने के लिए तानाशाह हो जाता है. इसके लिए वह अतिराष्ट्रवाद का सहारा लेकर चुनाव के माध्यम से वैधता प्राप्त करके सत्ता तक पहुंचता है. नस्लवाद, अल्पसंख्यकों का संहार करके वह एक जातीय राज्य की कल्पना करता है. इतिहास में मुसोलिनी और हिटलर इसके पर्याय हैं. धर्म इसकी सबसे बड़ी ताकत होता है. फासीवाद में औरतों की कोई जगह नहीं होती. फासीवादी पितृसत्ता औरतों को पुरुष की सम्पत्ति मानता है और यह मानता है कि औरतों की जगह केवल घर परिवार और रसोईघर में होती है। "दुश्मन की औरतों" के साथ बलात्कार ये अपना 'पवित्र' हथियार मानता है।

भारत में हिन्दू फासीवादी ताकतों का उदय इसी विरासत का हिस्सा है. वैसे तो भारत में हिन्दू फासीवादी ताकतों का उदय 1980 के दशक में नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के विकास के साथ जोड़ कर देखा जा सकता है. लेकिन औरतों के प्रति साम्प्रदायिक पितृसत्तात्मक सोच की झलक बंटवारे के समय ही मिल जाती है. आपको जानकर हैरत होगी कि 1947 के बाद आठ साल के वक्त में भारत–पाकिस्तान दोनो देशों द्वारा अपहृत 30,000 औरतों को 'बरामद'किया गया. भारत से 'बरामद'मुसलमान औरतों की संख्या 20728 थी. ये 'बरामदगी'इस बात की द्योतक थी कि औरतें सम्बन्धित देशों की 'इज़्ज़त' थीं. मुसलमान औरतें 'मुस्लिम देश'की और हिन्दू औरतें 'हिन्दू देश'की. बलत्कृत अपहरण की बलत्कृत वापसी थी यह. यहां तक कि सरकार ने यह कानून भी पारित किया कि पाकिस्तान से वापस लाई गयीं औरतें अपने बच्चों को वहीं छोड़कर आएंगी (यह मानते हुए कि उनके पिता मुसलमान थे). गर्भवती औरतों को गर्भपात के लिए बाध्य किया गया. इन सब में औरत की इच्छा का कोई मतलब नहीं था. इस तरह बंटवारे के समय से ही भारतीय राज्य अघोषित रूप से एक हिन्दू पूर्वग्रह का पक्षधर था. जहां औरतों की अपनी इच्छा और अधिकार का कोई मतलब ही नहीं था. इतने बड़े पैमाने पर औरतें किसी मुल्क की 'इज़्ज़त'कैसे हो सकती हैं. यह इतिहास का ऐसा सबब है जिस पर कोई खुल कर बात ही नही करता. इतिहास तो बिल्कुल ही नहीं.

1987 में रूपकुंवर के सती होने पर भाजपा नेता विजयाराजे सिंधिया ने खुले तौर पर सती का समर्थन किया. यह बाबरी मस्जिद विध्वंस की पूर्वपीठिका थी. इसके बाद हुए ध्रुवीकरण के बाद भारतीय समाज का तानाबाना हमेशा के लिए बदल गया और जिसका नंगा नाच आज हम देख पा रहे हैं. बाबरी विध्वंस के बाद हुए दंगों में बड़ी संख्या में औरतों के बलात्कार किये गये. जैसा कि हम जानते हैं कि फासीवाद दुश्मन समुदाय की औरतों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार को सत्ता एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है. इसकी वीभत्स अभिव्यक्ति हुयी 2002 में हुए गुजरात नरसंहार में. त्रिशूल में टंगा एक भ्रूण हिन्दू फासिज़्म का सबसे वीभत्सतम प्रतीक बन चुका है. इसके बाद उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हुयी है. 2013 के मुजफ़्फ़रनगर दंगों में पुनः इसकी पुनरावृत्ति हुयी। इसी पृष्ठभूमि में 2014 में चुनकर आयी हिन्दुत्ववादी सत्ता के दौर में फासीवाद के समस्त लक्षण बेशर्मी के साथ ऐलानिया तौर पर सबके सामने है भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने का फासीवादी एजेण्डा पूरा करने की होड़ मची है.

एक तरफ़ तो मुसलमान औरतों के लिए यह तीन तलाक का मुद्दा उठा कर यह सिद्ध करने का प्रयास कर रही है कि वह अल्पसंख्यक समाज की औरतों के हक़ों के लिए लड़ रही है दूसरी तरफ़ शबरीमाला में बीजेपी सुप्रीमकोर्ट द्वारा हिन्दू औरतों को दिये गए मन्दिर में जाने के जनवादी अधिकारों का खुले आम विरोध कर रही है. बड़ी संख्या में सवर्ण ब्राह्मण औरतें इस विरोध में उनके साथ हैं. यानी अल्पसंख्यक औरतों के जनवादी अधिकारों की वकाल करने वाली ये फासीवादी ताकतें हिन्दू धर्म की औरतों को मिलने वाले एक छोटे से जनवादी अधिकार को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।

जनाधिकारों के लिए लड़ने वाली औरतों के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर जाना इनका शगल है ।

जनता जब भी किसी जीवन से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहती है धार्मिक उन्माद का कोई न कोई हंगामा बरप जाता है. इन सबका आसान शिकार हैं औरतें. चूंकि फासीवाद औरतों को अपनी सम्पत्ति समझता है और औरतों के जनवादी अधिकारों के प्रति इसके मन में कोई सम्मान नहीं होता. ऐसे में अपने जनवादी अधिकारों को हासिल करने के लिए औरतों के लिए जरूरी है कि वे फासीवाद खासतौर से हिन्दू ब्राह्मणवादी फासीवाद के खिलाफ़ निर्मम लड़ाई लड़ें। ■

पेज 7 का शेष.....

नहीं है। फिर योगेश राज ने इन लोगों के नाम किस आधार पर लिखवाए? गोवंश के अवशेष महाव गांव के पास पाए गए थे ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि योगेश को गोवंश हत्यारों के नाम और गांव के बारे में कैसे जानकारी मिली? अगर उसकी जानकारी पुख्ता थी तो उन लोगों ने राजमार्ग को क्यों अवरुद्ध किया, बांस गांव क्यों नहीं गए? योगेश राज और शिखर अग्रवाल ने वीडियो जारी कर यह क्यों कहा कि वे हिंसा के समय घटना स्थल पर नहीं थे?

यह मानने का कोई कारण नहीं है कि चिंगरावती की हिंसा पूर्व नियोजित नहीं थी। वहां गोवंश हत्या के खिलाफ कथित रूप से प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास अवैध अग्नि अस्त्र थे जो कि स्वभाविक नहीं है।

प्राथमिक विद्यालय में समय पूर्व मिड डे मील देकर बच्चों को छोड़ने और विद्यालय में दूर से आने वाले अध्यापकों के जल्दी चले जाने के दो अलग अलग कारण बताए गए हैं। पहले में कहा गया है कि स्थिति इज्तेमा के कारण अच्छी नहीं लगती है इसलिए बच्चों को जल्दी छोड़ दिया जाए। जबकि अध्यापकों के लिए कहा गया था कि वह जाम में फंस सकते हैं। हालांकि इज्तेमा का आयोजन घटना स्थल से 40 किमी दूर किया गया था और घटना के दिन एसपी बुलंदशहर ने इज्तेमा के शान्तिपूर्ण और सकुशल निपट जाने की बात कहकर उन दुष्प्रचारों का खंडन किया था जिसमें इज्तेमा में अशांति की अफवाह फैलाई जा रही थी।

बुलंदशहर इज्तेमा से लाखों मुसलमानों का वापसी का सफर बुलंदशहर स्याना राजमार्ग से होनी थी। उस पूरे क्षेत्र में तब्लीगी इज्तेमा की आम चर्चा थी। नया बांस गांव के मुस्लिमों को भी उसकी जानकारी अवश्य रही होगी। ऐसे में, आज के माहौल में गोवंश की हत्या कर उसी राजमार्ग से पास फेकने का क्या औचित्य हो सकता था जिससे इज्तेमा से लौटने वालों की जान माल का खतरा पैदा होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती। ऐसा प्रतीत होता है कि गोवंश हत्या का षणयंत्र रचकर रोड जाम करने और व्यापक स्तर पर हिंसा करने की साज़िश की गई थी। अगर यह साज़िश कामयाब हो जाती तो पूरे सूबे में दंगा भड़क सकता था लेकिन कोतवाल सुबोध कुमार सिंह ने इस साज़िश को कामयाब नहीं होने दिया जिससे बौखलाए साज़िशकर्ताओं ने उनको शहीद कर दिया।

बुलंदशहर हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा फोकस गोवंश हत्या की गहराई से जांच करने और हत्यारों को कड़ी सज़ा देने पर रहा है। सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञिप्ति में सुमित के परिजनों को दस लाख रूपये का मुआवज़ा देने की घोषणा करके और सुबोध कुमार सिंह की हत्या का उल्लेख तक न करके मामले की जांच को दिशा देने का प्रयास किया गया है। यह इस मामले की दूसरी साजिश प्रतीत होती है। ■

श्रद्धांजलि

फ़हमीदा रियाज़

(28 जुलाई 1946–22 नवम्बर 2018)

फ़हमीदा रियाज़ पाकिस्तान की मशहूर शायरा हैं। लेकिन वे भारत में काफी चर्चित हैं। उनके लेखन के कारण पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने 80 के दशक में उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया था, उस दौरान कई साल तक वे भारत में निर्वासित रही। 22 नवम्बर 2018 को पाकिस्तान में उनका इंतकाल हो गया। पाकिस्तान में धर्मोन्माद के खिलाफ लागातार लिखने वाली फहमीदा रियाज़ ने भारत में हिन्दुत्ववादियों द्वारा 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने की घटना के बाद एक नज्म लिखी जो काफी चर्चित हुई। उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप वह नज्म हम यहाँ दे रहे हैं।

- सम्पादक।

तुम बिलकुल हम जैसे निकले

तुम बिलकुल हम जैसे निकले
अब तक कहाँ छुपे थे भाई
वो मूर्खता वो घामड़पन
जिसमे हमने सदी गंवाई
आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे
अरे बधाई बहुत बधाई
प्रेत धरम का नाच रहा है
कायम हिन्दू राज करोगे?
सारे उलटे काज करोगे
अपना चमन दराज़ करोगे
तुम भी बैठे करोगे सोंचा
पूरी है वैसी तैयारी
कौन है हिन्दू कौन नहीं है
तुम भी करोगे फतवे जारी
होगा कठिन यहाँ भी जीना
रातों आ जायेगा पसीना
जैसी तैसी कटा करेगी
यहां भी सबकी साँस घुटेगी
कल दुःख से सोंचा करती थी
सोंच के बहुत हँसी आज आई
तुम बिलकुल हम जैसे निकले
हम दो कौम नहीं थे भाई !
भाड़ में जाए शिक्षा–विक्षा
अब जाहिलपन के गुण गाना
आगे गड्ढा है ये मत देखो
वापस लाओ गया ज़माना
बष्ट (Practice) करो तुम आ जायेगा
उलटे पाँव चलते जाना
ध्यान न मन में दूजा आये
बस पीछे ही नज़र जमाना
एक जाप सा करते जाओ
बारम–बार यही दोहराओ
कितना वीर महान था भारत
कैसा आलिशान था भारत
फिर तुमलोग पहुँच जाओगे
बस परलोक पहुँच जाओगे
हम तो हैं पहले से वहाँ पर
तुम भी समयनिकालते रहना
अब जिस नरक में जाओ वहाँ से
चिट्ठी–विट्ठी डालते रहना ■

फिल्म समीक्षा

लुक हू इज बैक-आबिदा

हिटलर ज़िन्दा है, कभी वह अख़लाक के फ्रीज़र के गोश्त में घुस जाता है, कभी वह जुनैद की टोपी के धागों में उलझ जाता है, कभी वह पहलू ख़ान और रकबर ख़ान के मवेशियों के झुण्ड में घुस जाता है, तो कभी वह किसी मुसलमान युवक बुज़ुर्ग को पीट–पीट के मारने वाले लम्पटों में शामिल हो जाता है तो कभी एक आठ साल के बच्चे को पीट के मारने वालों में शामिल हो जाता है. हिटलर ज़िन्दा है, वह शामिल है, पुलिस वालों की साम्प्रदायिक सोच और कार्यवाइयों में, न्यायपालिका के फैसलों में, प्रधानमंत्री के भाषणों में. वह शामिल है कहानियों में, कविताओं में, फिल्मों में. महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ में, हिंसा में, वह ज़िन्दा है ब्राम्हणवादियों के शुद्ध रक्त में।

दरअसल हिटलर कभी मरा ही नहीं. बीच–बीच में वह सिर उठाता ही रहता है कभी हमारे ही भीतर तो कभी छुपे रूप में. लेकिन यह भी सच है कि हिटलर के सिर उठाने के खिलाफ़ व्यापक प्रतिरोध भी है. प्रतिरोध है टी एम कृष्णा के सुरीले सुरों में, औरतों के साहसी प्रतिरोधों में और चारो ओर चल रहे जनता के प्रतिरोधों में।

लेकिन क्या हो अगर हिटलर आज पुनः अपनी क़ब्र से सशरीर ज़िन्दा हो जाये तो. जी हां, यह सच है, यह सच हुआ 2012 में लिखा गया तिमूर वर्मीज के बेस्टसेलर उपन्यास 'लुक हू इज़ बैक'में. देखते ही देखते इसकी लाखों प्रतियां बिक गयीं. 2015 में इसी उपन्यास पर आधारित करके डेविड वानेन्ड्त ने एक फिल्म बनायी – 'लुक हू इज़ बैक'।

तंज़िया शैली में बनी इस फ़िल्म में हिटलर आज 21वीं सदी में वास्तव में उस पार्क से उठ बैठता है जिसमें कभी उसका बंकर हुआ करता है. हिटलर को 1945 के बाद की कोई याददाश्त नहीं है. वह मौजूदा जर्मनी में घूमता है और धीरे–धीरे उसका रुतबा काबिज़ होता जाता है. अन्त में एक बूढ़ी नानी उसे पहचान कर नफ़रत से भर उठती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है. हिटलर के माध्यम से टीआपी बटोरने वाला एक टेलीविजन चैनल एक प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के सामने हिटलर को पेश करते हैं (याद करें आज भारत के टीवी चैनल किस तरह फासीवादी कार्यक्रमों के ज़रिये टीआरपी बटोर रहे हैं) अन्त में हिटलर को मारने की कोशिश नाकाम हो जाती है और वह एक विजयी की तरह खुली गाड़ी में बैठ कर जर्मनी की सड़कों पर निकलता है. इसी समय शुरू हो जाता है हिटलर के खिलाफ़ जनता का प्रतिरोध. और यहीं यह फ़िल्म खत्म हो जाती है।

एक अविश्वसनीय सी स्क्रिप्ट के साथ बनी यह फ़िल्म बहुत आसान फ़िल्म नहीं है. इसमें सिलसिलेवार तरीके से कहानी नहीं चलती. बल्कि तंज की शक्ल में यह फ़िल्म हमें बार–बार अहसास दिलाती है कि हिटलर कैसे हमारी ज़िन्दगी में सायास घुस गया है. हिटलर के माध्यम से यह एक ऐसा तंज है कि जब किसी दृश्य में हम हंसते हैं तो अगले ही पल हमारा गला रुंधने लगता है. कि हमने ही तो इस फासिस्ट को पनाह दी है. हमने ही वोट देकर 'लोकतान्त्रिक'माध्यम से सारी दुनिया में हिटलरों को चुना है. ये हिटलर जनता से अपनी वैधता हासिल कर जनता पर दमन करते हैं।

समूची दुनिया में चल रहे दक्षिणपंथी आंधी के रूप में हिटलर की वापसी और शरणार्थी संकट पर यह फ़िल्म ज़बरदस्त तंज़ करती है। नहीं, हिटलर कोई मज़ाक नहीं है. हिटलर एक यथार्थ है जो आज हमारे ख़यालों में घुस गया है. ज़रूरत है हमारे ज़हन से हिटलर के रूप में मौजूद फासीवाद के ज़हर को खुरच–खुरच के मिटा देने की. आज हर तरफ़ सिर उठा रहे हिटलरों को कुचल देने की. देखो हिटलर ज़िन्दा है की कहानी कहती यह फ़िल्म एक आज के दौर की एक ज़रूरी फ़िल्म है. ■

बुलन्द शहर हिंसाः हिन्दुत्व फासीवादी हमले का शिकार बने कोतवाल सुबोध सिंह

– मसीउद्दीन संजरी

बुलंदशहर में स्याना कोतवाली अंतर्गत स्थित चिंगरावती पुलिस चौकी के पास 3 दिसम्बर को हिंदुत्ववादी संगठनों की अगुवाई में हिंसक भीड़ ने गोवंश हत्या के एक मामले में जमकर उपद्रव किया। भीड़ ने वाहन तोड़े, आगज़नी की, पुलिस बल पर पथराव और फायरिंग की जिसमें कोतवाल सुबोध कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पर पत्थरबाज़ी कर रही भीड़ में शामिल सुमित कुमार ने भी गोली लगने के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस मामले में कुल तीन एफआईआर दर्ज की गई है। पहली गोवंश हत्या की रिपोर्ट बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज ने दर्ज कराई जिसमें 7 मुस्लिमों को नामज़द किया गया है। इन सभी सात का समबंध नया बांस गांव से है जो घटना स्थल चिंगरावती से करीब तीन किमी की दूरी पर है। दूसरी एफआईआर में चिगरावती हिंसा मामले में पुलिस ने 26 लोगों को नामज़द किया है जिसमें 8 का सम्बंध बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा युवा मोर्चा से है। तीसरी एफआईआर में सुमित कुमार के पिता अमरजीत ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई है । उनका दावा है कि सुमित हिंसा में शामिल नहीं था और घटना के दिन वह अपने दोस्त से मिलने गया था।

इस बात को लेकर आम सहमति है कि यह घटना किसी साज़िश का नतीजा थी। पुलिस, उत्तर प्रदेश शासन और मीडिया व आमजन सभी इस बात पर सहमत हैं। असहमति साज़िशकर्ताओं की पहचान और मंशा को लेकर है। अब तक की जांच में जो खुलासे हुए हैं वह वास्तव में किसी बड़ी साज़िश की तरफ इशारा करते हैं। स्याना तहसील के महाव गांव के पास झाड़ियों में 3 दिसम्बर की सुबह गोवंश के अवशेष मिलने की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस बल व स्थानीय निवासियों ने तय किया कि अवशेष को कहीं दफन कर दिया जाए। अवशेष को ट्रैक्टर ट्राली पर रखकर उचित स्थान पर ले जाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान बजरंग दल और भाजपा से जुड़े करीब 40 लोग मौके पर पहुंच गए और ट्राली को अपने कब्ज़े में ले लिया। महाव के पूर्व प्रधान प्रेमजीत सिंह कहते हैं "कथित गो मांस खेतों में मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। कोतवाल साहब व पुलिस वाले उसे वहीं ज़मीन में दबा देना चाहते थे, सबकी यही राय थी। लेकिन इतने में तीस चालीस के करीब बजरंग दल के लोग आ गए और ट्राली पर कब्ज़ा कर लिया और उसे चिंगरावती चौकी पर ले जाकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस बल भी कम था और महाव के लोग भी कम संख्या में थे इसलिए वह लोग कामयाब हुए। स्याने की तरफ से काफी भीड़ आई। (चिंगरावती से) ट्रैक्टर हटा लिया गया लेकिन ट्राली पर उन्होंने कब्ज़ा जमाए रखा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया फिर सब शुरू हो गया"। महाव गांव जाट बाहुल्य है और 400–500 घर की आबादी वाले इस गांव में मुसलमानों के केवल 10–15 घर ही हैं। चिंगरावती चौकी के पास राजमार्ग पर ट्राली खड़ी करके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। इस बीच भीड़ बढ़ती गई और करीब 400 युवाओं ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। उसी दिन बुलंदशहर तब्लीग़ी इज्तेमा से लाखों लोग उसी मार्ग से वापस होने वाले थे। इसीलिए पुलिस गोवंश हत्या मामले में एफआईआर दर्ज कर हत्यारों को कड़ी सज़ा दिलवाने के आश्वासन देती रही लेकिन वहां मौजूद युवा राजमार्ग खाली करने के बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। भीड़ का नेतृत्व करने वालों में से एक बजरंग दल के ज़िला संयोजक योगेश राज ने घटना स्थल चिंगरावती से करीब 11 किमी दूर स्याना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाने चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक एफआइआर 12:43 मिनट पर दर्ज की गई। योगेश राज को एफआइआर की कॉपी 12:50 पर दे दी गई। स्याना थाने के मुंशियों ने उच्चाधिकारियों को दिए बयान में कहा है कि 12:50 पर ही योगेश थाने से निकल गया। झगड़ा एक बजे शुरू हुआ और करीब 1:35 मिनट पर इंस्पेक्टर को गोली मारी गई। योगेश के घटना स्थल पर वापस पहुंचने के बाद भीड़ हिंसक हो गई।

यह भी खुलासा हुआ कि सुमित कुमार और सुबोध कुमार सिंह को .32 बोर के एक ही या एक तरह के हथियार से गोली मारी गई। एसी रिपोर्टें भी हैं कि गोवंश अवशेष घटना से एक दिन पहले का था।

चिंगरावती गांव में स्थित प्राथमिक और जूनियर माध्यमिक विद्यालय में 3 दिसम्बर को छात्रों को समय से पहले दोपह 11:15 बजे ही मिड डे मील परोसा गया जबकि नियमानुसार दोपहर 12:30 बजे दिया जाता है। विद्यालय के रसोइए राजपाल सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है।

रसोइये को बताया गया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से विद्यालय को 11.00 बजे के करीब संदेश पहुंचा जिसमें कहा गया था कि इज्तेमा के कारण स्थित अच्छी नहीं लगती है। बच्चों को भोजन देकर उन्हें छोड़ दिया जाए। उसने यह भी कहा कि बाहर के अध्यापकों को उस दिन जल्द चले जाने को कहा गया कि कहीं ऐसा न हो वे ट्रैफिक में फंस न जाएं।

एक रिपोर्ट में यह तथ्य भी प्रकाश में आए कि मामला सुबह 9:30 के बाद ही शुरू हो गया था लेकिन सीनियर पुलिस अधिकारी 11:30 बजे के बाद मौके पर पहुंचे। 100 नम्बर पुलिस वाहन भी सूचना मिलने के काफी देर से पहुंची और स्थानीय खुफिया विभाग साज़िश को भांपने में नाकाम रहा।

इस मामले की जांच में उपलब्ध वीडियो और सीसीटीवी फूटेज को खंघाला जा रहा है। एक वीडियो में सुमित को पुलिस पत्थर फेकते साफ देखा जा सकता है। पुलिस ने दिलवारी देवी कन्या पीजी कालेज के वीडियो फूटेज की जांच की जिसमें कथित रूप से महाव निवासी और वर्तमान में जम्मू में तैनात सेना के जवान जीतेंद्र मलिक उर्फ जीतू फौजी को सबोध कुमार सिंह पर गोली चलाने की बात सामने आई। उसको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया गया है। जीतू फौजी को फुटेज में भीड़ को उकसाते हुए भी पाया गया है। बताया जाता है कि जीतू छुट्टी पर घर आया हुआ था। उसकी छुट्टी खत्म नहीं हुई थी। इस घटना के बाद उसने बची हुई छुट्टी रद करवा दी और जम्मू चला गया।

योगेश राज और शिखर अग्रवाल दोनों घटना के बाद से फरार हैं। दोनों ने अलग अलग वीडियो जारी कर अपने को बेकसूर बताया है। उनका कहना है की घटना के समय वे स्याना कोतवाली में थे। लेकिन हिंसा भड़कने और पत्थरबाज़ी के दौरान इन दोनों के घटना स्थल पर मौजूद होने के प्रमाण पुलिस को मिले हैं। शिखर अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि सुबोध कुमार सिंह भ्रष्ट थे और मूसलमानों का साथ देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। कोतवाल सुबोध कुमार सिंह ने दादरी में एखलाक हत्या कांड की जांच की थी और हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी वजह से हिंदुत्ववादी उनसे नाराज़ थे और उन्हें हिंदू विरोधी मानते थे।

सवाल यह पैदा होता है कि महाव गांव जहां मुसलमानों के कुल 10–15 घर ही हैं गोवंश अवशेष को उस गांव के पास क्यों फेका गया? अगर यह मान भी लिया जाए कि बांस गांव के मुस्लिमों ने गो हत्या की थी तो उन्हें महाव गांव में अवशेष फेक कर वहां की बहुत ही कम मुस्लिम आबादी को खतरे में डालने के पीछे उनका क्या मकसद हो सकता था?

बांस गांव के जिन सात मुस्लिमों पर गोवंश हत्या के लिए योगेश राज ने नामित किया है उनमें दो नाबालिग जिनकी आयु क्रमशः 10 और 12 वर्ष है और वे कक्षा 5 व 6 में पढ़ते हैं। सफरुद्दीन 29 दिसम्बर बुलंद शहर इज्तेमा में था और वहां से वह 4 दिसम्बर को अपने घर लौटा है। उसे इज्तेमा में गाड़ी पार्किंग की ज़िम्मेदारी दी गई थी। एक अन्य सुदैफ चौधरी नाम का कोई व्यक्ति गांव का निवासी क्यों अवरुद्ध किया, बांस गांव क्यों नहीं गए? योगेश राज और शिखर अग्रवाल ने वीडियो जारी कर यह क्यों कहा कि

शेष पेज 6 पर

बाबा साहब अम्बेडकर और हिन्दुत्व टोली

-शम्सुल इस्लाम

इतिहास के पुनर्लेखन का काम जोर–शोर से चल रहा है। इतिहास के इस पुनर्लेखन को इतिहास का गला घोटना कहना ज्यादा सही होगा क्योंकि हिन्दुत्व टोली द्वारा इतिहास के नाम पर जो परोसा जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा दुर्गति जिसकी हुई है, वह इतिहास की सच्चाईयां और तथ्य ही हैं। अभी तक इस 'रचना कर्म' और 'सृजनात्मकता' के शिकार सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल और महात्मा गांधी ही हुये थे लेकिन अब डॉ. भीमराव अंबेडकर की बारी भी आ गई है। महात्मा गांधी जिनकी हत्या हिंदुत्ववादी राजनीति द्वारा फैला गये जहर के परिणाम स्वरूप हुई थी और सरदार पटेल जिनके स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री रहते हुये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था उनको गोद लेने से संतुष्ट न रहकर संघ टोली अब डॉ. अम्बेडकर के हिंदुत्ववादी होने का ऐलान कर चुकी है।

इसकी शरुआत 2003 में उत्तर प्रदेश में बजरंग दल के नेता विनय कटियार द्वारा शुरू की गयी थी। जब यह ऐलान किया गया की भारत के बारे में डॉ. अम्बेडकर और आर. एस. एस. संस्थापक डॉ. हेडगेवार के एक जैसे विचार थे। बाबा साहब के 124 वें जन्मदिन पर तो संघ टोली ने हद कर दी जब आर. एस.एस. के एक वरिष्ठ नेता, कृष्ण गोपाल ने आर.एस. एस. के हिन्दी–अंग्रेजी मुखपत्र में यह तक लिख दिया कि डॉ अम्बेडकर ने हिन्दुओं के बीच छुआछूत के लिए 1200–1300 साल पुराने 'मुसलमान' शासकों को जिम्मेदार ठहराया था। हिन्दुत्व टोली खुलेआम कह रही है कि डॉ. अम्बेडकर हिंदुवादी थे। आर.एस.एस से जुड़े नेता व संस्थाएं डॉ. अम्बेडकर को इस ऐतिहासिक सच्चाई के बावजूद कि उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, डॉ. अम्बेडकर को हिंदूवादी राजनीति की महान विभूति बता रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इतनी भयानक तोड़–फोड़ केवल स्वयंसेवक संघ ही कर सकता है।

डॉ. अम्बेडकर भारत में हिंदू–मुसलमान समस्या या हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिकताओं के बीच टकराने के बारे में क्या विचार रखते थे इस बारे में दस्तावेजों का एक बड़ा भंडार उपलब्ध है। 1940 में डॉ. अम्बेडकर ने मुबई में सक्रिय एक राजनैतिक समूह 'इंडीपेंडेंट लेबर पार्टी' के सदस्यों के बीच इस समस्या पर एक सार्थक बहस चलाने के उद्देश्य से एक रपट प्रस्तुत की जिसे बाद में **'पाकिस्तान या भारत का विभाजन शीर्षक'** से एक किताब के रूप में भी छापा गया। इस पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर ने सांप्रदायिक समस्या पर एक ईमानदार शोधकर्ता के तौर पर वह तमाम सामग्री जमा की जो हिंदू–मुसलमान सांप्रदायिकता और कट्टरता के बारे में तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराती है।

इस पुस्तक में जिन्ना के नेतृत्व में किस तरह से मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला उसके बारे में पूरे घटनाक्रम का विस्तृत व्यौरा प्रस्तुत किया गया है। डॉ. अम्बेडकर ने तथ्यों की जुबानी यह तथ्य पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश की कि मुस्लिम लीग द्वारा संचालित सांप्रदायिक राजनीति केवल देश के लिए ही नहीं बल्कि आम मुसलमानों के लिए भी बहुत हानिकारक साबित हागी।

लेकिन यह भी सच है कि डॉ. अम्बेडकर ने इसी पुस्तक में **'हिन्दुत्ववादी राजनीति'** को देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने के लिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदार माना। डॉ. अम्बेडकर ने हिंदुत्ववादी राजनीति पर अपने विचार प्रकट करते हुए साफ तौर पर लिखा, **"अगर हिन्दू राज्य बन जाता है तो निःसन्देह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जायेगा। हिन्दू कुछ भी कहें, पर हिन्दुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाई चारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर प्रजातंत्र के लिए यह अनुपयुक्त है। हिन्दू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए।"**

डॉ. अम्बेडकर का यह साफ मत था कि हिंदुत्ववादी राजनीति का संचालन आम हिंदुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि उच्च जाति के एक छोटे से समूह के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। डॉ. अम्बेडकर ने लिखा– **"इस मुद्दे पर दो पार्टियों अर्थात हिन्दू और मुस्लिम दोनों में हिन्दू अधिक कठोर हैं। इस बारे में ऊँची जातियों के हिन्दूओं की प्रतिक्रिया जानना काफी है,**

क्योंकि वे हिन्दू जनता का मार्गदर्शन करते हैं और हिन्दू जनमत का निमार्ण करते हैं। दुर्भाग्यवश, ऊँची जातियों के हिन्दू लोग नेता के रूप में बहुत घटिया होते हैं। उनके चरित्र में कोई ऐसा गुण है जिससे हिन्दू आमतौर पर घोर विपत्ति में पड़ जाते हैं। उनका यह गुण इस कारण बनता है कि वह सब कुछ स्वयं हासिल करना चाहते हैं और जीवन की अच्छी चीजें दुसरों से मिल–बांटना नहीं चाहते। उनके पास शिक्षा और शक्ति या अधिकार का एकाधिकार है। और शक्ति और शिक्षा से ही वे राज्य पर काबिज हो पाये हैं। उनके जीवन की आकांक्षा और लक्ष्य यही है की उनका यह एकाधिकार बना रहे। अपने वर्ग का प्रभुत्व बनायें रखने में ही उनका स्वार्थ है और इसीलिए वे नीची जातियों के हिन्दुओं को अधिकार या शक्ति, शिक्षा और सत्ता से वंचित रखने के लिए हर सम्भव उपाय अपनाते हैं। ऊँची जातियों के हिन्दुओं ने नीची जाति के हिन्दुओं के बारे में अपना जो दृष्टिकोण बना रखा है उसे ही वे मुस्लिमों पर लागू करना चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने नीची जातियों के हिन्दुओं के साथ किया है उसी तरह वे मुसलमानों को श्रेणी और सत्ता से अलग रखना चाहते हैं।"

आर.एस.एस से जुड़े लोगों का यह अभियान लगातार चल रहा है कि वे मुसलमान विरोधी थे और हिंदुत्ववादी राजनीति के महान समर्थक थे। डॉ. अम्बेडकर की विरासत के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता। डॉ. अम्बेडकर सावरकर और हिंदुत्ववादी राजनीति के बारे में जो समझ रखते थे वह भी इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से बयान की गई है। डॉ. अम्बेडकर ने लिखा– **" यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर सावरकर और जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं।दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिदू राष्ट्र उन में मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि भारत में दो राष्ट्र हैं परंतु हिदुस्तान को दो भागों में, एक मुसलमानों के लिए और दूसरा हिदुओं के लिए नहीं बांटा जाएगा यह दोनों कौमें एक ही देश में रहेंगी और एक ही संविधान के अंतर्गत रहेंगी यह संविधान ऐसा होगा जिससे हिन्दू राष्ट्र को यह वर्चस्व मिले जिसका वह अधिकारी है और मुस्लिम राष्ट्र को हिदू राष्ट्र के अधीनस्थ सहयोग की भावना से रहना होगा।"**

डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार सावरकर का यह दृष्टिकोण तर्कसंगत नहीं माना जा सकता था। उन्होंने लिखा– **"यदि सावरकर हिन्दू राष्ट्र के लिए एक अलग कौमी वतन का दावा करते है, तो मुस्लिम राष्ट्र के कौमी वतन के दावे का विरोध कैसे कर सकते है?"**

डॉ0 अंबेडकर हिंदुत्ववादी राजनीति के खतरों से अपनी इस पुस्तक में बार–बार आगाह करते हैं। उन्होंने एक जगह लिखा– **"बिट्रेन आक्रामक बहुसंख्यक हिन्दुओं को सत्ता सौपनें और उसे अपना अत्तराधिकारी बनाकर अल्पसंख्यकों से अपनी इच्छानुसार निपटने को सहमति नहीं दे सकता। इससे साम्राज्यवाद का अन्त नहीं होगा। इससे तो एक और और साम्राज्यवाद का उदय हो जायेगा।"**

हिन्दुत्व टोली का यह दावा कि डॉ–अम्बेडकर हिंदुत्ववादी राजनीति और हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे यह एक शर्मनाक सफेद झूठ है। डॉ–अंबेडकर हिंदू राष्ट्र और मुसलमान राष्ट्र के विचारों को दफना कर एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें–**" हिन्दू तथा मुसलमान मिलजुलकर राजनीतिक पाट्रियों का निर्माण कर ले, जिनका आर्थिक जीर्णोद्धार तथा स्वीकृत सामाजिक कार्यक्रम हो तथा जिसके फलस्वरूप हिन्दू राज्य अथवा मुस्लिम राज्य का खतरा टल सके। भारत में हिन्दू मुसलमानों की संयुक्त पार्टी की रचना कठिन नहीं है। हिदू समाज में ऐसी बहुत सी उप जातियां हैं जिनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आवश्यकताएं वही हैं जो बहुसंख्यक मुस्लिम जातियों की हैं। अतः वे उन उच्च जातियों के हिदुओं की अपेक्षा, जिन्होंने शताब्दियों से आम मानव के बाद अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया है, अपने वे अपने समाज के हितों की उपलब्धियों के लिए मुसलमानों से मिलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाएंगे।"**

डॉ0 अंबेडकर के इन विचारों से यह सच्चाई बहुत स्पष्ट होकर उभर आती है कि वह एक ऐसा धर्मनिरपक्ष भारत चाहते थे जिसमें गरीब हिन्दू और मुसलमान मिलकर राज करें और एक न्यायसंगत समाज बना सकें। डॉ0 अंबेडकर की इस धर्मनिरपक्ष विरासत के साथ खिलवाड़ और बलात्कार का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि उन्हें मसीहा मानने वाले और अंबेडकर के विचारों का झंडा बुलंद करने वाले संगठनों ने इस सबके खिलाफ अपना प्रतिरोध प्रभावशाली ढंग से दर्ज नहीं कराया है। इसका मुख्य कारण यह है कि बाबा साहब अंबेडकर का दम्भ भरने वाले संगठन उनके मूल विचारों से अनभिज्ञ हैं। संघ टोली की तो यह मजबूरी है कि वह गांधीजी, सरदार पटेल और अंबेडकर जैसी विभूतियों को गोद ले ताकि स्वतंत्रता आंदोलन से अपनी गद्दारी पर पर्दा डाल सके। लेकिन डॉ0 अंबेडकर के विचारों में विश्वास रखने वालो लोगों का उनकी विरासत से अनजान बने रहने के पीछे क्या मजबूरी है यह समझ में नहीं आता है।

हिदुत्व टोली बाबा साहब का कितना सम्मान करती है और उनके समतामूलक एजेंडे के प्रति कितनी प्रतिबध है उसका अनुमान बाबा साहब के 125 वें जन्मदिन से 2 दिन पहले इसकी हरियाणा सरकार दुबारा गुड़गांव शहर का नाम बदलकर गुरूग्राम करने से जाना जा सकता है। सरकारी विज्ञप्ति में नाम बदलने की वजह बताते हुए कहा गया कि महाभारत के अनुसार यहां गुरु द्रोणाचार्य का निवास था इसलिए गुड़गांव का नाम बदला जा रहा है याद रहे यह कि गुरु द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने एक शुद्र एकलव्य का अंगूठा इसलिए "गुरु दक्षिणा" के तौर पर मांग लिया था क्योंकि शुद्र एकलव्य, गुरु के उच्च जाति के कौरव और पांडवों कुनबो के उनके शार्गिदों से बहुत अच्छी तीरंदाजी कर लेता था। "गुरु दक्षिणा" में अंगूठा मांग कर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने उच्च जातिय शार्गिदों की जीत सुनिश्चित करा दी थी। हमारे देश के संविधान निर्माता और दलित मसीहा के जन्मदिन के मौके पर इस तरह का फैसला उनका घोर अपमान ही माना जाएगा। ■